भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2538

दिनांक 04 अगस्त, 2026

गेहूं का एकल-कृषि चक्र और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट

2538. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पंजाब के दशकों पुराने धान-गेहूं के एकल-कृषि चक्र ने मृदा की उर्वरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है, जैविक कार्बन के स्तर को कम किया है, मृदा स्तर को कठोर किया है और जल धारण क्षमता को घटा दिया है, जैसा कि पंजाब के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 2026 के एक दीर्घकालिक अध्ययन में पुष्टि की गई है;

(ख) धान-गेहूं कृषि क्षेत्र की तुलना में पंजाब में वैकल्पिक फसलों (मक्का, बासमती, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां) के अंतर्गत वर्तमान कृषि क्षेत्र कितना है और 2022 से अब तक वर्ष-दर-वर्ष इसमें क्या परिवर्तन आया है;

(ग) क्या पंजाब में किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए 17,500 रुपये प्रति एकड़ के मौजूदा फसल विविधीकरण प्रोत्साहन का पूरा भुगतान किया जा रहा है और क्या इसके भुगतान में किसी प्रकार की देरी या कमी की सूचना मिली है; और

(घ) पंजाब में मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए हरित खाद, फलीदार आवरण वाली फसलों, बिना जुताई के कृषि और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा सहित क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय और राज्यीय बजट के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : जी, हां। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए दीर्घावधि अध्ययन के अनुसार सतत रूप से की जा रही चावल-गेहूं मोनोकल्चर प्राय: मृदा अवक्रमण से संबंधित चिंताजनक मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसका प्रमुख कारण बार-बार की जाने वाली पडलिंग, गहन जुताई,

फलियों या हरी खाद का अभाव और मोनोक्रापिंग है। धान प्रति रोपण के दौरान पडलिंग से मृदा एकत्रीकरण (एग्रीगेशन) में व्यवधान होता है, सरंध्रता (पोरोसिटी) में कमी आती है और ऊपरी सतह का ठोसपन बढ़ जाता है जिससे उचित प्रबंधन प्रक्रियाओं के अभाव में मृदा के फिजीकल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि, वैज्ञानिक रूप से संस्तुत कृषि प्रणालियों जैसे फलियों का समावेशन, फसल चक्रण (रोटेशन), संतुलित उर्वरक उपयोग, समेकित पोषण प्रबंध, जैविक खाद का प्रयोग और अवशिष्टों का समावेशन करके इन प्रभावों को काफी हद तक रिवरसेबल बनाया जा सकता है।

(ख) : पंजाब के कृषि परिवेश (लैंडस्केप) में चावल और गेहूं नियमित रूप से अपनी प्रमुखता बनाए हुए है। पंजाब में चावल क्षेत्र में नियमित वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2021-22 में 2969 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 3268 हजार हेक्टेयर हो गया, जबकि इसी समान अवधि में गेहूं के क्षेत्र में काफी स्थिरता देखने में आई जो 3525 हजार हेक्टेयर से 3458.6 हजार हेक्टेयर के बीच स्थिर था। इसी समान अवधि के दौरान अन्य फील्ड फसलों (मक्का, दलहन और तिलहन) के तहत आने वाला क्षेत्र चावल-गेहूं प्रणाली की तुलना में 8.6% से कम होकर 6.2% हो गया है, जबकि बागवानी फसलों (फल और सब्जियां) का हिस्सा 6.3% से धीरे-धीरे बढ़कर 7.2% हो गया है जो यह दर्शाता है कि बागवानी संबंधी विविधीकरण की दिशा में मामूली बदलाव हुआ है, तथापि, चावल-गेहूं फसल प्रणाली नियमित रूप से प्रमुख कृषि प्रणाली है। वर्ष-दर-वर्ष फसल-वार क्षेत्र का विवरण अनुबंध I और II में दिया गया है।

(ग) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा (DoAFW, GOI) फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) को वर्ष 2013-14 से हरित क्रांति वाले मूल राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य चावल की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और प्रोत्साहन है तथा साथ ही साथ फलीदार फसलों की खेती के माध्यम से मृदा की उर्वरता को पुन: स्थापित करना है। कन्वरजेंस मोड में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रु. 13.52 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पंजाब सरकार ने सीडीपी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ मक्का के लिए रु. 10,000/- प्रति हेक्टेयर की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है।

(घ) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW), भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य को पुन: स्थापित करने और हरी खाद को बढ़ावा देने, फलीदार फसलों के कवर क्षेत्र को बढ़ाने, शून्य जुताई और सूक्ष्म सिंचाई के लिए पंजाब में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनमें नामत: पीएम-प्रणाम, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) शामिल हैं।

इन पहलों के पूरक के रूप में भाकृअनुप द्वारा मृदा जांच फसल अनुक्रिया पर एआईसीआरपी (एसटीसीआर), दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण (एलटीएफई), माइक्रो और सेकेंडरी पोषक तत्व, कृषि वानिकी, समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस), समेकित जल प्रबंधन और प्राकृतिक कृषि पर नेटवर्क परियोजना (एनपीएनएफ) के माध्यम से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से मिलने वाले वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर भाकृअनुप द्वारा मृदा जांच आधरित संतुलित उर्वरीकरण, समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम), हरी खाद, फलीदार फसलों का कवर क्षेत्र, संरक्षण कृषि, शून्य जुताई और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाकृअनुप ने बासमती चावल-गेहूं-सनहेम्प और खरीफ मूंग-गेहूं-ग्रीष्म मूंग सहित सात फसलीय प्रणालियों के लिए जैविक उत्पादन पैकेज भी विकसित किए हैं और चावल-गेहूं प्रणाली के लाभकारी विकल्प के रूप में मक्का (कोब/चारा)-आलू-प्याज और बेबी कॉर्न-आलू-भिंडी की पहचान की है। भाकृअनुप के संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अग्र-पंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया गया है। भाकृअनुप द्वारा मृदा जांच वेल्यू और मृदा जांच फसल अनुक्रिया समीकरण के आधार पर जिला-वार सामान्य उर्वरक सिफारिश (जीएफआर) भी विकसित की गई हैं और इन्हें राज्य सरकार के साथ साझा किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) की प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) स्कीम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के संस्थापन हेतु लघु और सीमांत किसानों के लिए यूनिट लागत की 55% वित्तीय सहायता दी जाती है और अन्य किसानों के लिए 45% की वित्तीय सहायता दी जाती है। पंजाब में PDMC स्कीम के तहत जारी की गई राशि का विवरण और उपलब्धियां **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

अनुबंध- I

{लोक सभा के दिनांक 04.08.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 2538 का भाग (ख)}

पंजाब में फसल-वार क्षेत्र ('000 ha)

	क्षेत्र				
फसल	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
चावल	2969.00	3098.15	3179.00	3243.30	3268.00
गेंहू	3525.00	3534.74	3515.80	3512.00	3458.60
मक्का	105.20	93.30	94.50	86.10	88.10
जौ	5.00	5.00	5.14	4.94	4.70
बाजरा	1.20	0.60	0.70	1.10	1.20
तूअर	1.40	1.20	1.20	1.20	1.00
चना	1.80	1.30	1.42	1.24	2.50
उड़द	1.60	1.30	1.30	1.32	1.00
मूंग	54.10	24.80	70.85	32.95	29.00
मसूर	0.50	0.50	0.41	0.37	0.10
अन्य दलहन	3.20	3.20	0.10	0.20	0.90
कुल दलहन	62.60	32.30	75.28	37.28	34.50
कुल खाद्यान्न	6668.00	6764.09	6870.42	6884.72	6855.10
मूंगफली	1.40	1.70	1.60	1.60	2.10
तिल	2.90	2.10	1.90	1.32	0.40
रेपसीड एवं सरसों	43.90	54.00	43.10	42.10	53.20
कुल तिलहन	49.50	59.30	47.50	46.22	56.90
गन्ना	86.80	90.30	90.20	88.72	88.40
कपास	251.30	248.90	213.80	160.40	141.80

स्रोत : डीओएएफडब्ल्यू

अनुबंध- II

{लोक सभा के दिनांक 04.08.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 2538 का भाग (ख)}

वर्ष 2020-21 से 2025-26 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) के दौरान पंजाब में फल एवं सब्जियों का क्षेत्र

क्षेत्र '000 हेक्टे. में

क्र. सं.	वर्ष	फल	सब्जियां
		क्षेत्र	क्षेत्र
1	2021-22	106.43	300.40
2	2022-23	109.88	316.58
3	2023-24	113.83	334.47
4	2024-25	118.41	350.57
5	2025-26 **(द्वितीय अग्रिम अनुमान)**	120.64	366.54

अनुबंध- III

{लोक सभा के दिनांक 04.08.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 2538 का भाग (घ)}

पंजाब में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) स्कीम से संबंधित जारी निधि एवं उपलब्धियों की स्थिति

वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (रु. करोड़ में)**	**सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टे. में)**
2015-16	43.00	1799
2016-17	1.18	1950
2017-18	0.00	600
2018-19	9.00	507
2019-20	0.00	942
2020-21	0.00	742
2021-22	0.00	3719
2022-23	3.75	3039
2023-24	6.00	2864
2024-25	5.50	3185
2025-26	7.81	3045
2026-27 (अब तक)	3.90	
कुल	**80.14**	**22392**
